न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेड़ता (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-अरूण कुमार बेरीवाल, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक विविध (जमानत) प्रकरण सं 70/2026
CIS NO 70/2026

1. महिपाल पुत्र श्री चैनाराम, आयु 27 वर्ष, निवासी कालेटडा सूरियास, पुलिस थाना पादूकलां, जिला नागौर।
2. रामावतार पुत्र श्री बाबुराम, आयु 28 वर्ष, निवासी झिंटीया, पुलिस थाना जसनगर, जिला नागौर।

---प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, मेडता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 40/2026 पुलिस थाना पादूकलां।
अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 190, 191(2), 191(3), 352, 324(6) भारतीय न्याय संहिता।

...

उपस्थित-

1-श्री मधुसुदन जोशी, अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2-श्री शैलेन्द्र आचार्य, महेन्द्र चौधरी अधिवक्तागण परिवादी की ओर से।
3-श्री अभिमन्यु शर्मा, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

::आदेश::

दिनांक 18.03.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण महिपाल एवं रामावतार की ओर से यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना पादूकलां में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 40/2026 में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
2. अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण महिपाल एवं रामावतार की ओर से हस्तगत जमानत आवेदन न्यायालय में दिनांक 11.03.2026 को पेश

हुआ जिस पर उक्त प्रकरण वास्ते बहस हेतु दिनांक 12.03.2026 को नियत किया गया, उक्त पेशी पर परिवादी पक्ष की ओर से वकालतनामा पेश हुआ एवं उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई व प्रकरण आदेश हेतु दिनांक 13.03.2026 को नियत किया गया, तत्पश्चात् दिनांक 16.03.2026 को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारणवश प्रकरण दिनांक 17.03.2026 तत्पश्चात् दिनांक 18.03.2026 को आदेश हेतु को नियत किया गया जिस पर हस्तगत प्रकरण में आज आदेश पारित किया जा रहा है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि परिवादी ने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया, वह निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। परिवादी हरसुखराम ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा बोलेरो गाड़ी व कैम्पर गाड़ी से स्वयं को मोटरसाइकिल चलाते समय टक्कर मारना बताया है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में हरसुखराम के शरीर पर गाड़ी से टक्कर लगने की कोई चोट अंकित नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है एवं परिवादी को कोई गंभीर चोट भी कारित नहीं हुई है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अत: प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप सिद्ध होते हैं तथा अनुसंधान प्रचलित है। इस अवस्था में जमानत दिए जाने से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है। अतः जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

5. प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 109(1), 190, 191(2), 191(3), 352, 324(6) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है, जिसमें प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा परिवादी हरसुखराम के साथ बोलेरो व कैम्पर बम्पर गाड़ी द्वारा उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारने, जिससे परिवादी का उछल कर दुर गिरने एवं परिवादी के पीछे कुल्हाड़ी व सरिया लेकर जान से मारने की नियत से भागना बताया है। अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार Alleged History of Physical Assault बताया गया है व चोट को सामान्य प्रकृति एवं कुंद हथियार द्वारा कारित किया जाना बताया है।

6. इस प्रकार उपरोक्त मजरूब हरसुखराम के मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उन्हें गंभीर चोटें कारित होना इस स्तर पर अनुसंधान पत्रावली पर प्रकट नहीं होता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 07.03.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त महिपाल के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, एवं प्रार्थी/अभियुक्त रामावतार के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक मुकदमा सं. 134/2017 अन्तर्गत धारा 143, 341, 323, 427 भारतीय दंड संहिता दर्ज है, जिसमें अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विवचारण में समय लगेगा। अत: इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का मत अभिव्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Special Leave Petition (Cri.)No. 5191 of 2021 सत्येन्द्र कुमार अंटिल विरूद्ध सी बी आई में पारित न्यायिक निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण/अभियुक्तगण महिपाल व रामावतार की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक सुनवाई तिथि पर नियमित रूप से उपस्थिति के लिये 1,00,000–1,00,000/– रूपये के स्वयं के बंध पत्र एवं 50,000/–, 50,000/– रूपये की दो–दो जमानतें न्यायालय के समक्ष न्यायालय की संतुष्टि की पेश कर तस्दीक करवादें तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अरूण कुमार बेरीवाल)
सत्र न्यायाधीश,
मेडता

8. आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्र न्यायाधीश,
मेडता